



संख्या:- 158/2026/आई-1473504/001-559आ0-23-5002-002-38-2026
(कम्प्यूटर संख्या-2072111)

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०),
लो०नि०वि०, लखनऊ उ०प्र०।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-60-051-03-00-24 "अनावासीय भवनों का उन्नयन एवं सुदृढीकरण के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद बलिया, मुरादाबाद, शामली एवं आजमगढ़ के 04 कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-60-051-03-00-24 "अनावासीय भवनों का उन्नयन एवं सुदृढीकरण के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद बलिया, मुरादाबाद, शामली एवं आजमगढ़ के 04 कार्यो हेतु आगणन लागत रु० 157.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रु० 54.00 लाख (रु० चौवन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि० का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	584जी/9(कार्ययोजना) बी० पी० -विंग/ 2026 दि० 20.08.2026	बलिया/ निर्माण खण्ड	निरीक्षण भवन कोरण्टाडीह बलिया में रसोई घर, पम्प हाउस एवं टाइप-1 के दो आवासो का निर्माण कार्य।	39.16	13.50
2	610जी/9(कार्ययोजना) बी० पी० -विंग/ 2026 दि० 24.08.2026	मुरादाबाद/ प्रांतीय खण्ड	दिल्ली रोड मझौली चौराहा स्थित लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बाउण्ड्री बॉल का निर्माण कार्य।	28.21	09.50
3	तदैव	शामली	निरीक्षण भवन कैराना में जीर्णोद्धार बाउन्डीवाल का नव निर्माण का कार्य।	34.62	12.00
4	609जी/9(13) बी० पी० -विंग/ 2026 दि० 24.08.2026	आजमगढ़	निरीक्षण भवन फूलपुर आजमगढ़ में पूर्व निर्मित भवन के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	55.31	19.00
योग				157.30	54.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों:-

1- प्रश्नगत कार्यो हेतु लो०नि०वि० चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।
- 4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपॉजिट खाते अथवा पीओएलओएओ में नहीं रखी जायेगी।
- 7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- 9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जीओएसटीओ आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।
- 12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व डीओडीओओ कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संओ-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- 14- विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लोओनिओविओ द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 15- विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यूओपीओसीओएलओ से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।
- 16- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
- 17- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 18- लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशाO विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

- 20- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 21- लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जीOएसOटीO की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- 22- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
- 23- लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 24- लोक निर्माण विभाग द्वारा सेन्टेज चार्ज(प्रतिशत प्रभार) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 54,00,000 (रु० चौवन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059600510300 "अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण के नये कार्य", मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संO-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 158/2026/आई-1473504/001-559आO(1)/23-5-2026- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उOप्रO प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उOप्रO प्रयागराज।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट, लोOनिOविO, उOप्रO शासन।
- 4- सम्बंधित जिलाधिकारी, उOप्रO।
- 5- निदेशक, कोषागार, उOप्रO लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोOनिOविO, उOप्रO लखनऊ।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उOप्रO।
- 9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लोOनिOविO, लखनऊ।
- 10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लोOनिOविO।
- 11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लोOनिOविO।
- 12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लोOनिOविO।
- 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लोOनिOअनुO-10/श्रम अनुO-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।